न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 86/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
घेवरराम पुत्र लालाराम जाति माली निवासी बिलावास तहसील सोजत	1	शिवलाल पुत्र रतनाराम
	2	लीला बेवा रतनाराम
	3	चिमनाराम पुत्र लालाराम
	4	सोहनलाल पुत्र लालाराम जातिगण माली निवासीगण बिलावास
	5	सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14.2.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1913/2015 शिवलाल बनाम घेवरराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी भूमि है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायमी तनकीयात में नियत था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस ही जारी नहीं किया, जिससे अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली नियत होने की कोई जानकारी ही नहीं थी एवं न ही अपीलाण्ट लोक अदालत में उपस्थित हुआ था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई करते हुए निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य है। इसके अतिरिक्त जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी भूमि थी, जिसका विधिक विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि पूर्व से ही विभाजित है, जिसमें पक्षकारान अपने अपने हिस्से मुजब काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु दोनों ही पक्षों के अधिवक्तागण को सूचित किया गया था तथा अपीलाण्ट लोक अदालत में उपस्थित भी हुआ, जिसके रूबरू मौका निरीक्षण किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा उक्त विभाजन से सहमत होने के कारण जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। रेस्पोडेन्ट ने अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज़ कराने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय दिनांक 29.06.2016 को पारित किया गया है, जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 08.09.2016 को प्रस्तुत हुई। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के भाग 3 में मूल डिक्री की अपील के जो प्रावधान विहित है, उसके अनुसार डिक्री की दिनांक से 60 दिवस के भीतर अपील न्यायालय हाजा में किए जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित होने के 70 दिवस पश्चात की गई है। इस सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रतिलिपी प्राप्त करने में जो समय लगा है, वह परिसीमा काल में संगणना योग्य नहीं है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.08.2016 को प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2016 को प्रतिलिपी जारी की गई। इस प्रकार प्रतिलिपी जारी करने में 21 दिवस की अवधि को परिसीमा काल में संगणना नहीं किए जाने पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद पाई जाती है। गुणावगुण पर देखा जाए तो यह स्थिति प्रकट होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सह खातेदारी भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु अधिवक्तागण को सूचित किया गया था, जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता राजस्व लोक अदालत में उपस्थित थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.06.2016 के अनुसार दोनों ही पक्षकार उपस्थित होने तथा विभाजन से सहमत होने की दशा में जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रूबरू मौतबिरान के मौका निरीक्षण किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस पर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 1913/2015 शिवलाल बनाम घेवरराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली